उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 586/xxvii(7)/2010
देहरादून, दिनांकः 18 जून,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली,2008 के अधीन राज्य के सहकारी संस्थाओं को 10 प्रतिशत की सीमा तक क्रय वरीयता दिया जाना।

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः203/XXVII(7)/2009 दिनांक 21 जुलाई,2009 द्वारा राज्य के सहकारी संघ के माध्यम से रू0 15,000 से अधिक तथा रू0 1,00,000/– तक की लागत की सामग्री का क्रय विभाग द्वारा सहकारी संघ से मूल्य की औचित्यता से संतुष्ट होते हुए सीधे क्रय समिति के माध्यम से करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ–साथ रू0 15,00,000/– की सीमा तक की सामग्री के क्रय हेतु अपनाये जाने वाली टेन्डर इन्क्वायरी की प्रकिया में राज्य सहकारी संघ को भी रजिस्टर्ड सप्लायर के रूप में निविदादाता की सूची में सम्मिलित किये जाने की व्यवस्था की गई हैं। उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि टेन्डर रिक्वायरमेंट की सभी शर्ते पूर्ण करने,अन्य सभी तथ्य समान होने तथा सहकारी संघ के कोट किये गये प्राईस एल–1 प्राईस के 10 प्रतिशत की सीमा में रहने तथा संघ द्वारा एल–1 प्राईस को मैच करने के लिए सहमत होने पर सहकारी संघ को 10 प्रतिशत की सीमा तक क्रय वरीयता अनुमन्य होगी परन्तु एल–1 दरों से ऊपर किसी प्रकार की कोई मूल वरीयता नहीं दी जाएगी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या :203/XXVII(7)/2009 दिनांक 21 जुलाई;2009 द्वारा राज्य सहकारी संघ के लिए की गई व्यवस्था की अवधि जो कि 31–03–2010 तक के लिए निर्धारित थी तथा उक्त प्रस्तर–1 में उल्लिखित क्रय वरीयता की अवधि दिनांक 31 मार्च,2011 तक बढ़ाये जाने/रखने की भी एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्याः 586/xxvii(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1.महालेखाकार,उत्तराखण्ड ।
2.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन
3.सचिव विधान सभा, उत्तराखण्ड,देहरादून।
4.सचिव श्री राज्यपाल, उत्राखण्ड,देहरादून।
5.रजिस्ट्रार जनरल,माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
6.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7.अध्यक्ष उत्तराखण्ड, राज्य सहकारी संघ।
8.निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
9.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।